प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.09.23

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद ।

दिनांक 04.09.2023 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दौराने गश्त व चेकिंग मुखबिर की सूचना पर 01अभियुक्त काशिम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी चर्च के पीछे इकराम नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष को चोरी की एक मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लैट स्पलेन्डर प्लस रंग काला के साथ लाजपत नगर टी पाइंन्ट के पास साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त काशिम के विरुध्द अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाईकिल चोरी करता हूँ। व मोटरसाइकिल को सस्ते दामों में बेच देता हू। यह मोटरसाईकिल मैने दिल्ली से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

काशिम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी चर्च के पीछे इकराम नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण---

एक मोटर साइकिल बिना प्लैट मो0सा0 स्पलेन्डर प्लस

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण

अभियुक्त पर एनसीआर, दिल्ली क्षेत्र में करीब आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

साहिबाबाद पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा जुआ खेलते हुये 10 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 51140/- रू0 बरामद ।

दिनांक 04.09.2023 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दौराने गश्त व चेकिंग मुखबिर की सूचना पर दुर्गा कालोनी पप्पू के खाली प्लाट मे गली न0 3 राजेन्द्र नगर साहिबाबाद से 10 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व कुल 51140/- रू0 बरामद हुए है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि हम सभी मिलकर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते है। और इसी से अपनी जीविका चलाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1.जितेन्द्र चौहान पुत्र छवीला चौहान निवासी इन्द्रा कालोनी गली न0 1 म0न0 56 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष
2. अजय पुत्र कैलाश निवासी गली न0 5 दुर्गा कालोनी थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 26 वर्ष
3. दिनेश पुत्र मंगल निवासी बिछीया थाना पुरवा जिला उन्नाव उम्र 40 वर्ष
4. विजय पुत्र ओम प्रकाश निवासी गली न0 3 दुर्गा कालोनी थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 28 वर्ष

5. हेमू पुत्र गरुदेव निवासी गली न0 5 थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 30 वर्ष
6. संदीप पुत्र रामत्रिपाल निवासी गली न0 1 इन्द्रा कालोनी थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 27 वर्ष
7. नन्दकिशोर पुत्र हरिराम निवासी गली न0 5 दुर्गा कालोनी थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 23 वर्ष
8. आलम पुत्र मौहम्मद सलीम निवासी गली न0 5 दुर्गा कालोनी थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 40 वर्ष
9. संजय पुत्र श्रीपाल निवासी गली न0 2 दुर्गा कालोनी थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 38 वर्ष
10. दीपक उर्फ बहुआ पुत्र पृथ्वी मौर्या निवासी म0न0 एस 5 कृष्णा बिहार कुटि थाना टीला मोड गा0बाद उम्र 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण---

- कुल 51140/- रू0 व 52 ताश के पत्ते

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
साहिबाबाद पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस टीम द्वारा गौवंश (कंकाल) मिलने संबंधी अभियोग का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 3-9-23 को वादी श्री राहुल निवासी नन्दग्राम ने सूचना दी कि बोम्बे कालोनी में बंद कमरे में 03 गौवंश (कंकाल) सडी गली हालत में पडे है, इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, तथा गौंवश का पोस्टमार्टम करा वैधानिक कार्यवाही की गयी थी।

कार्यवाही का विवरण-- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, टीमों का गठन कर सर्विलांस व लोकल इनपुट के माध्यम से दिनांक 5-9-23 को आश्रम कट नन्दग्राम के पास से अभियुक्त शाहिद पुत्र कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया।

अभि0 का नाम व पता—
शाहिद पुत्र कमरुद्दीन निवासी म0नं0 991 गली नं0 1 बाम्बे कालोनी पुस्ता पार सिटी फोरेस्ट के पास थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम—
थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

ग्रामीण जोन पुलिस द्वारा कुख्यात भूमाफिया/हिस्ट्रीशीटर अपराधी महबूब अली की जनपद गाजियाबाद में स्थित अवैध रुप अर्जित की गयी लगभग 26 करोड़ रुपये की अचल सम्पत्ति गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क की गयी।

थाना ट्रोनिका सिटी के अंतर्गत पावी सादकपुर के रहने वाले महबूब अली जिसके विरूद्ध वर्ष 2008 से अगस्त 2023 के बीच धोखाधड़ी, मारपीट, अपहरण, जमीन पर कब्जा करने, गुण्डा एवं गैंगस्टर अधिनियम के कुल 20 अभियोग पंजीकृत हैं के विरुद्ध दिनांक 15.08.2023 को थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम में पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा उक्त भूमाफिया की कुल 09 अचल सम्पत्तियों जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग रू0 91 करोड़ है, को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए कुर्क किये जाने का आदेश दिनांक 04.09.2023 को निर्गत किया गया था। पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के आदेश के अनुपालन में ग्रामीण जोन पुलिस द्वारा उक्त भूमाफिया महबूब अली की अवैध रुप से अर्जित की गयी जनपद गाजियाबाद में स्थित 03 सम्पत्तियां आवासीय / व्यावसायिक कीमत 26 करोड़ रुपयें धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गयी है। अभियुक्त महबूब अली द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित अन्य जनपदों में स्थित अवैध सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही प्रचलित है।

<u>कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-</u>

1.दो मंजिला आवासीय भवन 300 वर्ग गज, अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत लगभग 08 करोड रुपये,

2. तीन मंजिला आवासीय भवन 300 वर्ग गज, अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत लगभग 07 करोड रुपये,

3. व्यवसायिक भवन प्रथम तल पर 14 दुकानें व द्वितीय तल पर 12 कमरें, 360 वर्ग गज अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत लगभग 11 करोड रुपये,

<u>कार्यवाही करने वाली टीम-</u>

ग्रामीण जोन पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।